

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला**भिण्ड (म0प्र0)****आपराधिक प्रक0क्र0-680 / 15****संस्थित दिनांक-11.09.15**

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

मुन्ना उर्फ देवेन्द्र सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह गुर्जर, उम्र 49 साल

निवासी- श्यामपुरा गोहद चौराहा, जिला भिण्ड, म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 02.03.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1-बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि आपने दिनांक 25.07.2015 को समय लगभग 13:30 बजे, पिपाहड़ी हेड पुलिया से 50 कदम दूरी नहर श्यामपुरा तरफ अपने आधिपत्य में दो जिंदा राउण्ड अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के रखे पाए गए।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 25.07.2015 को थाना गोहद चौराहा में पदस्थ थाना प्रभारी महेश सिंह जादौन भ्रमण के लिए जस्तपुरा पुलिया पर मुखबिर से सूचना मिली कि पिपाहड़ी हेड पर लड़के अवैध रूप से हथियार लिए कोई वारदात करने की नीयत से घूम रहे हैं। उक्त सूचना की तश्दीक हेतु उपलब्ध राहगीर संजीव व वृजराज सिंह को बुलाकर सूचना उपरांत मय बल के पिपाहड़ी हेड पुलिया पर पहुंचे तो वहां पुलिस को देखते ही लड़के भागे। फोर्स की मदद से एक लड़के को पकड़ा पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पता बताया। तलाशी लेने पर उसकी पेंट की दायनी जेब में दो जिंदा कारतूस 315 बोर के मिले, जिसके रखने का लाइसेंस चाहे जाने पर लाइसेंस न होना बताया। अभियुक्त से मौके पर उक्त कारतूस जप्त कर जप्तीपत्रक बनाया, गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया। थाना वापसी पर अपराध क्रमांक 180 / 15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षियों के कथन लेख किए गए। जप्तशुदा कारतूसों की जांच कराई गई। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा विरोधियों के कहने पर झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.07.2015 को समय लगभग 13:30 बजे, पिपाहड़ी हेड पुलिया से 50 कदम दूरी नहर श्यामपुरा तरफ अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में दो 315 बोर के जिंदा राउण्ड रखे ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर दो 315 बोर के जीवित कारतूस बिना वैध अनुज्ञप्ति के संधारित किए ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में संजीव सिंह अ0सा0 1, एम0एस0 जादौन अ0सा0 2, ब्रजराज अ0सा0 3, सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 04, रामकुमार अरेले अ0सा0 05, महेन्द्र सिंह भदौरिया अ0सा0 06, विदुराज तोमर अ0सा0 07 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों को एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

6. प्रकरण में जप्तीकर्ता अधिकारी महेश सिंह जादौन अ0सा0 02 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 25.07.2015 को थाना प्रभारी गोहद चौराहे के रूप में पदस्थ थे। उक्त दिनांक दौरान कस्बा भ्रमण जस्तपुरा पुलिया पर मुखबिर सूचना मिली कि पिपाहड़ी हेड पर लड़के अवैध हथियार लिए वारदात करने की नियत से घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर उन्होंने उपलब्ध साक्षी संजीव तोमर व ब्रजराज सिंह राजावत को तलब कर अवगत कराया और अपने हमराह फोर्स को लेकर पिपाहड़ी हेड पहुंचे तो पुलिस को देख कर लड़के नहर तरफ भागे। हमराह फोर्स की मदद से एक लड़के को पकड़ा उसने अपना नाम मुन्ना पुत्र बैजनाथ गुर्जर होना बताया। उसकी तलाशी लेने पर पेंट में दायनी जेब में दो 315 बोर के राउण्ड मिले, जिनके संबंध में लाईसेंस चाहा तो लाईसेंस न होना बताया। साक्षी द्वारा अभियुक्त से समक्ष गवाहों मौके पर कारतूश जप्त कर जप्तीपत्रक प्र0पी0 01 बनाया, जिस पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 02 बनाये जाने और उस पर भी पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित होना बताते हैं। थाने पर वापस आकर रोजनामचा सान्हा में वापसी दर्ज करने तथा अपराध क्रमांक 180 / 15 पर प्र0पी0 04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किए जाने का कथन करते हैं।

7. प्रकरण में प्र0पी0 01 व प्र0पी0 02 अर्थात् जप्तीपत्रक व गिरफ्तारी पत्रक के स्वतंत्र साक्षी संजीव सिंह अ0सा0 01 व ब्रजराज सिंह अ0सा0 03 हैं। संजीव अ0सा0 01 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि वे मुन्ना उर्फ देवेन्द्र को नहीं जानते। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व शराब के ठेके की गाड़ी लेके गए थे, तब अभियुक्त ने फायर किया था बाद में थाने पर सूचना दी थी। अन्य कोई कार्यवाही उसके

समक्ष होने के तथ्य से इंकार करता है। साक्षी यद्यपि जप्तीपत्रक प्र0पी0 01 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 02 में ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को स्वीकार करता है, किंतु पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्नों पूछे जाने पर अभियुक्त के आधिपत्य से अभिकथित कारतूस वरामद किए जाने के तथ्य से इंकार करता है। अन्य साक्षी ब्रजराज अ0सा0 03 अभियुक्त को नहीं जानता और उसके सामने अभियुक्त के पास से कोई भी कारतूस जप्त होने के तथ्य से इंकार करता है। यह साक्षी भी पक्षद्रोही घोषित किए जाने पर सूचक प्रश्न पूछे गए तब साक्षी द्वारा सुझाव से इंकार किया है कि उसके समक्ष दिनांक 25.07.2015 को अभियुक्त के आधिपत्य से दो जिंदा कारतूस जप्त किए गए थे। इस प्रकार से प्रकरण में जप्ती कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध स्वतंत्र साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अतः उसके विरुद्ध असत्य अपराध बनाया गया है। साक्ष्य विधि के अधीन ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस साक्ष्य के अभिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, किंतु यह आवश्यक है कि पुलिस साक्षियों की साक्ष्य को भी अन्य साधारण साक्षियों की भांति ही विश्लेषित किए जाने की विधि आवश्यकता को उपबंधित करती है। ऐसे में प्रस्तुत पुलिस साक्षियों की अभिसाक्ष्य को सूक्ष्मता से विश्लेषित करने की आवश्यकता है।

08. महेश सिंह जादौन अ0सा0 2 जो अभियुक्त के आधिपत्य से दो कारतूसों की जप्ती के संबंध में कथन करते हैं। वे अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में कथन करते हैं कि थाने से भ्रमण के लिए सुबह 10:00 बजे रवाना हुए थे। उस दिन लोधे की पाली, कनीपुरा, जस्तपुरा आदि गांव में भ्रमण किया था, किंतु यह बताने में असमर्थ हैं कि थाने से रवाना होकर किस गांव में पहुंचे और वहां कितना समय रुके। जस्तपुरा में सूचना करीब 12:30 बजे मिलने का कथन करते हैं। यह साक्षी ग्राम जस्तपुरा से घटना स्थल की दूरी लगभग 2-3 कि0मी0 बताते हैं। इस प्रकार से साक्षी द्वारा ग्राम कनीपुरा से करीब 2-3 कि0मी0 तक अपने साक्षियों को ले जाना बताया गया है। सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 04 भी घटना के साक्षी बताए गए हैं, जो उक्त दिनांक को थाना प्रभारी महेश सिंह जादौन के साथ आरक्षक जितेन्द्र, मूलचंद्र और अजीत सिंह के साथ इलाका भ्रमण पर जाने का कथन करते हैं और जस्तपुरा में थाना प्रभारी को मुखबिर सूचना मिलने और उक्त सूचना से राहगीर को अवगत कराए जाने तत्पश्चात् पिपाहड़ी हेड पर दो व्यक्तियों के दिखने जिन्हे घेर कर पकड़ने और मुन्ना उर्फ देवेन्द्र से दायने तरफ पेंट में 315 बोर के दो कारतूस मिलने के मुख्य परीक्षण में समर्थन करते हैं। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 02 में थाने से लगभग 10:00 निकलना बताता है और 12:30 बजे घटना स्थल पर पहुंचना बताता है, जबकि थाना प्रभारी एम0एस0 जादौन अ0सा0 02 12:30 बजे ग्राम जस्तपुरा पर पहुंचने का कथन करते हैं। साक्षी सुरेशदत्त अ0सा0 04 जस्तपुरा से नहर के किनारे निकलकर पिपाहड़ी हेड पहुंचने का कथन करते हैं। इसी के पश्चात् यह कथन करते हैं कि पिपाहड़ी हेड होकर जस्तपुरा पहुंचे थे और जब वे पिपाहड़ी हेड से जस्तपुरा निकले तब उन्हें कोई संदिग्ध

व्यक्ति नहीं दिखा था। साक्षी प्रकरण में यह कथन करता है कि सबसे पहले धर्मेन्द्र को पकड़ा और उसकी तलाशी ली, जबकि प्राथमिकी प्र०पी० 04 में व वापसी रोजनामचा में कहीं भी धर्मेन्द्र नामक व्यक्ति की तलाशी लिए जाने का तथ्य लेख नहीं है। इस प्रकार से उक्त दोनों साक्षियों द्वारा परस्पर विरोधाभासी कथन किया गया है।

09. प्रकरण में एम०एस० जादौन अ०सा० 02 प्रतिपरीक्षण की कंडिका 04 में स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में रात्रि में एक अपराध उनके थाने में पंजीबद्ध हुआ था। कंडिका 04 में यह भी कथन करते हैं कि जहां आरोपी को पकड़ा उसके आसपास लोग रहते हैं और एक दो घर बना है, किंतु साक्षी द्वारा आसपास के लोगों का नहीं बुलाया गया। साक्षी कंडिका 05 में स्वीकार करता है कि संजीव व ब्रजराज शराब के ठेके के कर्मचारी हैं। ऐसे में जहां कथित घटनास्थल पर स्वतंत्र व्यक्तियों के घर बने होने का कथन किया गया है। ऐसे में दो व्यक्तियों को पहले से ले जाकर पहुंचना और आसपास उपलब्ध व्यक्तियों को नहीं बुलाए जाना प्रकरण में एक महत्वपूर्ण संदेहकारी तथ्य है। एम०एस० जादौन अ०सा० 02 अपने अभिसाक्ष्य में सुबह 10 बजे थाने से रवाना होने का कथन करते हैं। मुख्य परीक्षण में वापस आने पर वापसी रोजनामचे में प्रविष्टि करना बताते हैं, जबकि प्रकरण में रवानगी व वापसी का कोई रोजनामचा सान्हा प्रमाणित नहीं कराया गया है और न ही प्राथमिकी प्र०पी० 04 पर कोई रवानगी व वापसी रोजनामचा सान्हा का सुसंगत कमांक उल्लेखित है। ऐसे में जप्तीकर्ता अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही उपबंधित विधि के प्रावधानों का पालन करते हुए किए जाना दर्शित नहीं है। एम०एस० जादौन अ०सा० 02 प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में स्वीकार करते हैं कि कारतूस की कोई विशेष पहचान नहीं है। ऐसे में कारतूस ऐसी वस्तु है, जो कि विशेष पहिचान के अभाव में किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध हो सकती है।

10 प्रकरण में रामकुमार अरेले अ०सा० 05 कारतूसों की जांच कर्ता हैं, जो अपने अभिसाक्ष्य में 315 बोर के दो कारतूस दिनांक 17.08.2015 को उन्हें जांच हेतु प्राप्त होने पर परीक्षण किए जाने पर जीवित अवस्था में व फायर योग्य पाए जाने का कथन करते हैं। जांच रिपोर्ट प्र०पी० 06 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। उनकी साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की है। महेन्द्र सिंह भदौरिया अ०सा० 06 दिनांक 20.08.2015 को कलेक्टर कार्यालय में आर्मस लिपिक के रूप में पदस्थ होने का कथन करते हैं। उक्त दिनांक को जिला दंडाधिकारी आर०पी० भारती के समक्ष जप्तशुदा 315 बोर के दो कारतूस मय केस डायरी के प्रस्तुत करने पर अभियोजन स्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध दिए जाने के संबंध में कथन करते हैं और प्र०पी० 07 की रिपोर्ट पर ए से ए भाग पर प्रभारी जिला दंडाधिकारी आर०पी० भारती के व बी से बी भाग पर अपने लघु हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। साक्षी द्वारा दी गई साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 47 के अधीन कारवार के सामान्य अनुक्रम में हस्ताक्षर व हस्तलिपि से परिचित व्यक्ति के रूप में है। ऐसे में वह प्रमाणित है।

प्रकरण में महेन्द्र सिंह अ0सा0 06 के द्वारा स्वीकार किया गया है कि जप्ती के संबंध में जो नमूना सील लगाई जाती है वह प्र0पी0 07 के अभियोजन स्वीकृति दस्तावेज पर अंकित नहीं है। शेष प्रतिपरीक्षण में कोई सारवान विरोधाभाषी कथन अभिलेख पर नहीं है। प्र0पी0 07 पर नमूना सील कार्यालय का संलग्न न होना अवश्य एक संदेहपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करता है।

11. एम0एस0 जादौन अ0सा0 02 अपने अभिसाक्ष्य में कंडिका 05 में साक्षीगण के शराब ठेके के कर्मचारी होना स्वीकार करते हैं। सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 04 प्रतिपरीक्षण की कंडिका 02 में साक्षीगण को पहले से न जानने का कथन करते हैं, जबकि विवेचक विदुराज तोमर अ0सा0 07 अपने अभिसाक्ष्य में कंडिका 02 में कथन करते हैं कि केस डायरी प्राप्त होने पर ब्रजराज व संजीव थाने पर आ गए थे, उन्होंने साक्षियों को बुलाने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया था। इसी कंडिका में साक्षी कथन करते हैं कि उक्त साक्षीगण थाने पर आते जाते रहते हैं। ऐसे में जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा स्वतंत्र साक्षियों संजीव अ0सा0 01 व ब्रजराज अ0सा0 03 के अक्सर थाने पर आने जाने का कथन जप्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य की विश्वसनीयता को प्रश्न चिन्हित करती है।

12. प्रकरण में जप्तीकर्ता एम0एस0 जादौन अ0सा0 02 द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य स्वीकार किया है कि घटना दिनांक की एक रात्रि पूर्व ही अभियुक्त के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ऐसे में अभियुक्त को आग्नेय आयुध के साथ गिरफ्तार किए जाने के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों के समर्थन में कोई भी खानगी व वापसी का रोजनामचा सान्हा प्रमाणित नहीं कराया गया है। साथ ही जिन्हें जप्तीकर्ता ने स्वतंत्र साक्षी के रूप में दर्शाया है, वे विवेचके के अनुसार थाने पर अक्सर आने जाने वाले व्यक्ति है, जबकि जप्तीस्थल के आसपास बने मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को साक्षी नहीं बनाया जाना संदेहपूर्ण स्थिति को निर्मित करता है। कथित स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियुक्त से आग्नेय आयुध की जप्ती का तथ्य प्रमाणित नहीं किया है। जप्ती का चछुदर्शी साक्षी सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 04 जप्तीकर्ता से भिन्न व विरोधाभाषी तथ्य बताते हैं, जो 12:30 बजे घटना स्थल पर पहुंचने का कथन करते हैं, जप्तीकर्ता अधिकारी उन्हें कथित मुखबिर से सूचना 12:30 बजे ग्राम जस्तपुरा में मिलने का कथन करते हैं। प्रकरण में जप्तीकर्ता एम0एस0 जादौन अ0सा0 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में पुलिस को देखकर लडकों के नहर तरफ भागने का कथन किया गया है और फोर्स की मदद से एक लडका (अभियुक्त) का पकड़ना बताया गया है जबकि अभियुक्त की आयु स्वयं अभियोजन दस्तावेजों से 48 वर्ष लेख है। ऐसे में अभियोजन की प्रस्तुत साक्ष्य में उपरोक्त कई विसंगतियां व विरोधाभाष मौजूद हैं। ऐसी दशा में अभियुक्त का अपराध संदेहपूर्ण हो जाता है।

13. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं

कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकूल्य नहीं है। “सत्य हो सकता है” और “सत्य होना चाहिए” के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 25.07.2015 को समय लगभग 13:30 बजे, पिपाहड़ी हेड पुलिया से 50 कदम दूरी नहर श्यामपुरा तरफ अपने आधिपत्य में दो जिंदा राउण्ड अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के रखे पाए गए। अतः अभियुक्त को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

15. प्रकरण में जब्तशुदा दो कारतूस अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजे जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

16. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दफ़्तर का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश